न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 36 / 2022 रजि0 नं0 2022 / 73 प्रवेश तिथि 17.08.2022

अपीलार्थी:–	प्रत्यर्थी:–
श्री विष्णु पुत्र शिम्भूदयाल निवासी ग्राम जालूकी रोड लक्ष्मणगढ जिला अलवर।	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 15.09.2022

1–अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ को आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2–अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3–अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ से जरिये नोटिस कंमाक 663 दिनाक 17.08.2022 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 31.08.2022 को उपस्थित आवें।

4–अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः स्मरण पत्र कंमाक 728 दिनाक 01.09.2022 जारी किया गया। जिनकी पालना में जरिये पत्राक 609–11 दिनाक 02.09.2022 के द्वारा अवगत कराया है, कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनाक 20.07.2022 को प्राप्त हुआ, प्रार्थना में वर्णित सूचनाऐ ग्राम पंचायत बुटियाना उपखण्ड क्षैत्र लक्ष्मणगढ के क्षैत्राधिकार में होने के कारण जर्ये पत्राक 448 दिनाक 25.07.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को भिजवाया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

5–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकि है, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15-09

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)